न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्री श्योराम वर्मा, आर.ए.एस.

मु.नं. 138/2019

सत्यनारायण पुत्र जेसराज जाति महाजन निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू

वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र गजानन्द जाति महाजन निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू
2. कैलाश पुत्र गजानन्द जाति महाजन निवासी ग्राम साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू
3. नवरतन पुत्र गजानन्द जाति महाजन निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू
4. बंशीधर पुत्र गजानन्द जाति महाजन निवासी ग्राम साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू
5. कौशल्या पुत्री गजानन्द जाति महाजन निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू
6. शान्ति पुत्री गजानन्द जाति महाजन निवासी ग्राम साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू
7. सन्तोष पुत्री गजानन्द जाति महाजन निवासी ग्राम साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू
8. गोपालचन्द पुत्र केशरीचन्द जाति महाजन निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू
9. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

1. जगदीशप्रसाद पुत्र जेसराज जाति महाजन निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू
2. नन्दलाल पुत्र जेसराज जाति महाजन निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू
3. पुष्पा पुत्री जेसराज जाति महाजन निवासी ग्राम साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू
4. मदनगोपाल पुत्र सावित्री जाति महाजन निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू

गौण प्रतिवादीगण

राजस्व वाद घोषणात्मक, रेकार्ड संशोधन, संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन व चिर निषेधाज्ञा की डिग्री प्राप्ति बाबत।

उपस्थित :– 1. श्री मनोज गोदारा एडवोकेट– वकील वादी
2. पेरोकार राज

–: निर्णय :–

दिनांक :–02.09.2021

प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 एंव गौण प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के खेत खसरा संख्या 613 छः सौ तेरह

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

तादादी 6.6014 छः दसमलव छः हजार चौदह हेक्टेयर, खसरा संख्या 614 छः सौ चौदह तादादी 3.6675 तीन दसमलव छः हजार छः सौ पचहतर हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 10.2689 दस दसमलव दौ हजार छः सौ नियासी हेक्टेयर भूमि वाके रोही ग्राम साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है जिसमें वादी व गौण प्रतिवादी प्रत्येक 1/9 हिस्सा भूमि के खातेदार कृशक है तथा जिसे आगे इसमें वादगत भूमि के नाम से पुकारा गया है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 वादगत खेतों को अलग अलग काश्त करते आ रहे है। वादगत खेतों के बीच में मौके पर सींव है। वादगत भूमि में सें खसरा संख्या 613 छः सौ तेरह तादादी 6.6014 छः दसमलव छः हजार चौदह हेक्टेयर भूमि सम्पूर्ण व खसरा संख्या 614 छः सौ चौदह तादादी 3.6675 तीन दसमलव छः हजार छः सौ पचहतर हेक्टेयर में सें उतरी साईड की 0.2445 हेक्टेयर भूमि वादी व गौण प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में है व खसरा संख्या 614 की बाकी भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का कब्जा काश्त है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का खान–पान, रहन–सहन सब अलग–अलग है। वादगत खेतों की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से अंकित होने के कारण वादी एंव गौण प्रतिवादीगण को सरकारी लाभांश प्राप्त करने में भारी परेशानीयां उठानी पड रही है इसलिए वादी एंव गौण प्रतिवादीगण के लिए आवश्यक हो गया कि वोह अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि में अपनी हिस्सा भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर अपने हिस्से की खातेदारी भूमि राजस्व रेकार्ड में पृथक अंकित करवाकर लगान का विभाजन कराये जिसके लिए वादी को कानुनी अधिकार प्राप्त है। वादी ने दिनांक 5.12.2019 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 से मौखिक रूप से निवेदन किया कि वादगत खेतों का कब्जा काश्त अनुसार विधिवत विभाजन करवाकर अपने अपने हिस्से की खातेदारी भूमि पृथक पृथक राजस्व रेकार्ड में अंकित कराये। प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 साफ इनकार हो गये तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने वादी को ऐलानीयां तोर पर धमकियां दी कि वोह अच्छी किश्म की भूमि पर जबरन बलपूर्वक कब्जा करके वादी एंव एंव गौण प्रतिवादीगण को बेदखल करेंगे तथा किसी भूमाफियों को विक्रय करके अच्छी किश्म की भूमि का कब्जा करवाकर ही रहेगे, जबकि ऐसा करने का प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 अपने गैरकानूनी कृत्य में सफल हो गये तो वादी को न केवल अपूर्तिय क्षति होगी बल्कि भयंकर असुविधा भी होगी। इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय से चिर निशेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त कर प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 को वर्जित कराये कि वोह वादी को अपनी हिस्सा भूमि से जबरन बलपूर्वक कब्जा करके बेदखल नहीं करें और जब तक विधिवत रूप से विभाजन नहीं हो जाता तब तक किसी हिस्से या अंश को विक्रय हस्तांतरण रहन आदि नहीं करें ओर ना ही वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधायें रूकावटें आदि पैदा करें या किसी अन्य से करवायें। वादगत खेत वादी एंव एंव गौण प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का होने से वादी को वादाधार प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 की ऐलानियां धमकियां से वादी को वाद हेतुक प्राप्त है। राज्य सरकार भू धारक है जो वाद में आवश्यक पक्षकार है। कानूनी आपतियों को मध्य नजर रखते हुए राजस्थान सरकार को वाद में प्रतिवादी संख्या 9 के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है। खातेदार भंवरीदेवी पत्नि जेसराज का स्वर्गवास हो चुका है जिसके जायज वारिस वादी व गौण प्रतिवादीगण ही है जो दावा में आवश्यक पक्षकार है। खातेदार सावित्री का भी स्वर्गवास हो चुका है जिसका जायज वारिस गौण प्रतिवादी संख्या 4 मदनगोपाल है जो दावा में आवश्यक पक्षकार है। खातेदार भंवरीदेवी का स्वर्गवास होने के बाद

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

वादी व गौण प्रतिवादी प्रत्येक का वादगत भूमि में 2/15 हिस्सा कायम हो गया अर्थात् वादी व गौण प्रतिवादीगण सभी का संयुक्त रूप से वादगत भूमि में 2/3 हिस्सा कायम है। वादी के साथ गौण प्रतिवादीगण का हित समान रूप से नियत है। गौण प्रतिवादीगण वर्तमान में गांव से बहार होने के कारण उन्हें वाद में वादी के रूप में पक्षकार संयोजित नहीं किया जा सका ओर कानूनी आपतियों को मध्य नजर रखते हुए उन्हें वाद में गौण प्रतिवादीगण के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है। वाद वादी संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन एंव चिर निशेधाज्ञा डिक्री प्राप्ति का है। वादगत खेत रोही ग्राम साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है इसलिए इस वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। वाद वादी निर्धारित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। आदि–आदि अंकित कर वाद पत्र पेश किया।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 व गौण प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 बावजुद तामिल अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वाद में पेरोकार राज ने राजहित नहीं होना अंकित किया है। वादी वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वादी वकील ने दौराने बहस दावे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वादी के वाद को डिक्री करने का निवेदन किया।

वादी वकील की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जो अभिवचन वादी द्वारा वाद में किए गए है उसका विरोध इस न्यायालय में किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया है। इस कारण इस वाद में तनकीयात कायम नहीं की गई। वादी अपने कब्जा काश्त के आधार पर खसरा संख्या 613 तादादी 6.6014 हेक्टेयर भूमि सम्पूर्ण व खसरा संख्या 614 तादादी 3.6675 हेक्टेयर में सें उतरी पश्चिमी साईड से 0.2445 हेक्टेयर भूमि का विभाजन चाह रहा है जो न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

अतः वादी का वाद विभाजन का स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री इस प्रकार जारी की जाती है कि खसरा संख्या 613 तादादी 6.6014 हेक्टेयर भूमि सम्पूर्ण व खसरा संख्या 614 तादादी 3.6675 हेक्टेयर में सें उतरी पश्चिमी साईड से 0.2445 हेक्टेयर भूमि वादी व गौण प्रतिवादीगण के नाम से अलग खातेदारी में दर्ज कर लगान का विभाजन किया जावे। शेष भूमि प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त रखी जावे। तदनुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी हो। विभाजन प्रस्ताव हेतु तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 02.09.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner